

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर**



Ph. No/Fax No :- 01372 - 252122

E Mail :- eepdgpr1@gmail.com

पत्रांक 1690/23 एल.ए.
सेवा में,

दिनांक 25/08/2021

उपवन संरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

विषय— राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.937 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 8B/UCP/06/191/2016/FC/80 दि. 16.04.2019

उपरोक्त विषयक अवगत करना है कि राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.937 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु भारत सरकार के पत्रांक 8B/UCP/06/191/2016/FC/80 दि. 16.04.2019 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। अधिरोपित 09 शर्तों के अनुपालन आख्या बिन्दुवाः प्रेषित की जा रही है:-

शर्त संख्या 1— प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 0.937 है० सिविल भूमि पर 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों पर) रु० 3600175.00 आन लाईन चालान द्वारा जमा कर दी गयी है। (चालान की छायाप्रति संलग्न है।)

शर्त संख्या 2— एन. पी. वी. की धनराशि निर्धारित वर्तमान दरों पर रु० 791765.00 की चालान द्वारा आन लाईन जमा की गई है। (छायाप्रति संलग्न है।)

शर्त संख्या 3— प्रयोक्ता एजेन्सी यह बचन बद्धता प्रस्तुत करते हैं कि यदि एन.पी.वी. दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई धनराशि विभाग द्वारा जमा की जायेगी। (प्रमाण पत्र संलग्न है।)

शर्त संख्या 4— प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्रांक 5-3/2007 एफ० सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकारण (CAMP) के तदर्थ निकाय खातों में Online Portal के माध्यम से Genrate चालान द्वारा जमा की गयी है।

शर्त संख्या 5— प्रयोक्ता एजेन्सी यह बचन बद्धता प्रस्तुत करते हैं कि सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां सम्भव हो होगा मार्ग के दोनों किनारों तथा Central Verge में अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation करेंगे।

शर्त संख्या 6— CWLW द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र पूर्व ही मूल में उपलब्ध करा दिया गया है। प्रति संलग्न है।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त सं. 1 से 6 एवं अन्य शर्त 1 से 12 तक खण्ड को मान्य है।

O/L

25/01/24
अधिशारी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियन्ता 7वाँ वृत्त लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।

O/L

25/01/24
अधिशारी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST
CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL)
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 08बी/यू०सी०पी०/०६/१९१/२०१६/एफ०सी०/८०

दिनांक 16/04/2019

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद - चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या- 928/X-4-16/1(297)/2016 दिनांक 16.09.2016

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No. FP/UK/ROAD/15628/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन सन्दर्भित पत्र के अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार जन अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर समय-समय पर राज्य सरकार आवश्यक जानकारियां/दस्तावेज online मंगवाए जाते रहे हैं, जिनके प्राप्त होने के उपरान्त व प्रस्ताव पर विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद- चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.937 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 2110 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, जो से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।
5. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की बद्धता प्रेषित करनी होगी।
6. State Govt. will submit the certificate of CWLW, in original.

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यवाही के लिए प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा नहीं की जाती। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् विधिवत् स्वीकृति अन्य शर्तों सहित निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जायेगी:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए होगा।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का रूम कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
6. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं के प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
7. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।
8. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 211 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
9. सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी।
10. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना अनुसार प्रस्तावित वन भूमि पर प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों पर अलावा अन्यत्र वन भूमि में मलवा नहीं फेंका जाएगा।
11. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
12. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तों का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्पश्चात् प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

(डॉ० योगेश गौतम)
तकनीकी अधिकारी (पर्यावरण)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, खार रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(डॉ० योगेश गौतम)
तकनीकी अधिकारी (पर्यावरण)

एन.पी.वी. प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम:— राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.937 है० वन भूमि का गैर वाणिज्यीकरण हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.937 है० वन भूमि की स्वीकृति मिलने पर एन.पी.वी. की धनराशि यदि मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा भविष्य में एन.पी.वी. की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है, तो लोक निर्माण विभाग द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप बढ़ी हुई एन.पी.वी. धनराशि का भुगतान वन विभाग को किया जायेगा।


23-3-21
अधिसूचक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०,
गोपेश्वर।

“राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण्य से दूरी का मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र”

प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा अपने पत्रांक 2493/12-1 दिनांक 29/12/2018 तथा निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर की पत्र संख्या-2225/12-1 दिनांक 01/02/2019 से जनपद चमोली के अंतर्गत बछेरधार से बछेर गांव तक प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण हेतु दिये गये प्रमाण पत्र/आख्या कि याचित 0.937 हे० वन भूमि जो केदारनाथ कस्तूरा मृग विहार की सीमा से 6.00 कि०मी० दूर है, के निर्माण से संबंधित क्षेत्र में वन्यजीव सुरक्षा पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा व वन कर्मियों द्वारा की जाने वाली गश्त वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा की दृष्टि से और सुदृढ़ होगी, के साथ उक्त मोटर मार्ग निर्माण की संस्तुति के साथ दिये गये प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त परियोजना के निर्माण हेतु संस्तुति दी जाती है।

(मोनिष मल्लिक)

प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य
वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड
85-राजपुर रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड), फोन न०-0135-2742884 फैक्स-2745691

पत्रांक 2274/12-1

देहरादून

दिनांक 13 फरवरी, 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर
2. प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर ।
3. अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०, गोपेश्वर

(मोनिष मल्लिक)

प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य
वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड

भूगर्भवेत्ता द्वारा दिये गये सुझावों के अनुपालन सम्बन्धित प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.937 है० वन भूमि का गैर वांनवी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण के दौरान भूगर्भवेत्ता द्वारा अपने निरीक्षण टिप्पणी में दिये गये सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।


अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०,
गोपेश्वर।

(10)

10/11

ANNEXURE

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT CHAMOLI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli District, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of District Magistrate, Chamoli on dated 10-03-2015 at time 12-00 Hrs at Chamoli in which application claiming rights in Chamoli area measuring 0.13 hect for the construction of Construction of BacherDhat to Bacher Gaon motor road, Under State Sector (CM Announcement) at Dasoli Block in District- Chamoli. 3.00 Km forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Chamoli sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place - Gopeshwar

Dated: 10-3-15

A
जिलाधिकारी
District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee Chamoli

(11) ~~73~~

Government of Uttarakhand
Office of the District Magistrate : Chamoli

No. :-

Dated :-

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter No-11-9/98-EC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and other Traditional Forest Dwellers (Reorganization of Forest Rights, Act 2006 (FRA. for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 0.93 Hect of forest land proposed to be diverted in favor of PWD Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of BacherDhar to Bacher Gaon motor road, Under State Sector (CM Announcement) at Dasoli Block in District- Chamoli, 3.00 Km Under PWD Gopeshwar (purpose for diversion of forest land) in Chamoli District falls within jurisdiction of Chamoli Tehsils.

It is further Certified that :

SN		Remark
(A)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.93 Hect of civil area proposed for diversion. A copy of records of all constructions and meetings of the forest right committee(s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to - annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(B)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sahas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. There is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.
(C)	The proposed does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.


 Signature
 (District Magistrate Chamoli)
 जिलाधिकारी
 चमोली

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली, विकासखण्ड दशोली में राज्य योजना के अन्तर्गत बछेरधार से बछेर गांव तक मोटर मार्ग निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी चमोली
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति चमोली

जनपद चमोली, विकासखण्ड दशोली में राज्य योजना के अन्तर्गत बछेरधार से बछेर गांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.91 हे. सिविल वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तांतरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपरोक्त खण्ड स्तरीय समिति तहसील चमोली की दि. 03-03-15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्डीय वनाधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति को अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में ना. सदस्यों की उपस्थिति में निम्नानुसार है:-

- 1- श्री अवधेश कुमार सिंह उपजिलाधिकारी (सर) अध्यक्ष AKC
- 2- श्री रतन सिंह उप प्रभागीय वनाधिकारी सचिव
- 3- श्री अ. प. खन्ना सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य/सचिव
- 4- श्री सुरेश चन्दर बोडीसी क्षेत्र सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली में राज्य योजना के अन्तर्गत बछेरधार से बछेर गांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.91 हे. वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तांतरित किये जाने हेतु ना. सदस्यों के समक्ष रखा गया। प्रान सभा के अन्तर्गत वनाधिकार कोई मान्यता लबित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित प्रान सभा द्वारा सर्वसम्मति से पाले प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुमति दी गई है।

सत्यान्वित उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं तत् सम्बन्धित नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से ना. सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी दफ्तर का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में प्रान सभा/प्रभागत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जाती है।

AKC

उपजिलाधिकारी
अध्यक्ष

उप प्रभागीय वनाधिकारी
सचिव

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
सदस्य/सचिव

बोडीसी क्षेत्र
सदस्य

13 76

परियोजना का नाम : राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग वन भूमि हस्तान्तरण।

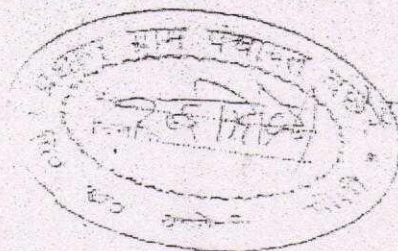
वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली के चमोली के विकास खण्ड दशोली में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु ०.१३७ हे० वन भूमि हस्तान्तरण हेतु ०.१३७ हे० सिविल एवं आरक्षित वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिसमें उनके द्वारा वनाधिकार 2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा है।

उक्त प्रकरण में सम्बन्धित ग्राम पंचायती की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु पित्तुत चर्चा की गयी यह की वनाधिकार अधिनियम 2006 प्राविधानों के तहत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है। एवं आदिन जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। नही किसी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी समुदाय का कब्जा/कृषि कार्य है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवंटित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हानन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभाओं द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि उक्त वन भूमि ०.१३७ हे० सिविल एवं आरक्षित भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी के लिए परियोजना निर्माण हेतु दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम सभाओं की बैठक की उपस्थिति संलग्न है।

प्रमाणित किया जा समय एवं सही है।



ग्राम पंचायत अध्यक्ष

दि. 01-03-2015 को ग्राम सभा चुने की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए

क्र.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	नाम	हस्ताक्षर
	जनमपवार	जनमप
	नीरज राणा	
	रमेश पवार	
	रवींद्र राणा	
	विजय प्रसाद तिवारी	
	जलदीप पवार	
	गणेश मेहता	
	गडसिंह	(अभिषेक)
	कमलसिंह	
	विजयसिंह	
	विजयसिंह	
	प्रमोदसिंह	
	हरिधर सिंह	
	गोपाल सिंह राणा	गोपालसिंह
	सुभाषराव	सुभाषराव
	हरिप्रसाद	हरिप्रसाद (अभिषेक)
	विनायक राव	
	कुंवरभासिंह	कुंवरभासिंह
	सुधीर दास	सुधीरदास
	गजेन्द्र सिंह	गजेन्द्रसिंह
	शंकर शंकर मेहता	शंकरसिंह प्रमोदसिंह
	भास्कर प्रकाश मेहता	भास्करसिंह
	विजयसिंह मेहता	विजयसिंह
	देवेंद्रसिंह	देवेंद्रसिंह
	गोपाल सिंह पवार	गोपालसिंह
	जयपाल सिंह पवार	जयपाल
	वीरेंद्र प्रसाद	वीरेंद्र
	जयपाल सिंह राणा	

PC प्रमाणित
१५०



Date _____

आज दि. 18.12.2013 को ग्राम सभा
बड़ेर पटवारी वरु सैजेट शैल-वशोली, तहसील
व जनपद-चमोली की एक आम आवश्यक
बैठक हुई। जिसमें लोक निर्माण विभाग
द्वारा लिंक रोड जो कि च्यारी तोंक से
मल्ला बड़ेर तक के वास्तव में जिसे
निम्न लिखित प्रस्ताव पारित किये गये।

प्र.सं-1: सर्व सहमति से सर्व प्रथम समस्त गा.
वासियों द्वारा लिंक रोड-च्यारी तोंक से-
मल्ला-बड़ेर तक स्वीकृत एवं स्वीकृत
हुने पर लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर
का हार्दिक अभिवादन किया गया तथा
सर्व मान्य रहा।

प्र.सं-2: सर्व सहमति से यह निर्णय लिया गया
कि किसी भी व्यक्ति-व्यक्ति को लिंक रोड
कटने पर किसी भी प्रकार से कोई-
आपत्ति नहीं है प्रस्ताव सर्व मान्य रहा।

प्र.सं-3: सर्व सहमति से यह निर्णय लिया गया कि
ग्राम-सभा की सार्वजनिक-भूमि पर किसी व्य.
या ग्राम-संस्था द्वारा कोई आपत्ति नहीं है प्रस्ताव
सर्व मान्य रहा।

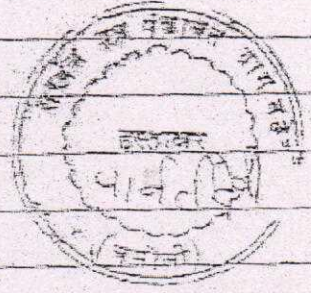
प्र.सं-4: सर्व सहमति से यह निर्णय लिया गया कि
बैठक की आम सहमति का प्रस्ताव सार्वजनिक
कार्यवाही हेतु अंगीकृत किया जाय प्रस्ताव सर्व मान्य रहा।

प्र.सं-5: आज के सभी-कार्यवाही हेतु अंगीकृत किया जाय प्रस्ताव सर्व मान्य रहा।

Date _____

प. नं. 6 :- सब सहभागी से यह निर्णय लिया गया कि आगामी जेठ मास विभाग की जाग्रत कार्यवाही चार होगी, उस्ताव सब मान्य रहे।

वन संरक्षण ग्राम
सभा - कंदर



नाम -	हस्ताक्षर	आपवसी/नाम
गुरुदासविहारी		अधिकारी
दुगा उस्ताद		
सुर सिंह		
जवाहर राणा		मुमिधारक
लुनापाल सिंह		
राजवीर सिंह		
महिपाल सिंह		
देवेंद्र सिंह		
जगमोहन सिंह		
संजीव पवार		
भरजीत पवार		
दिभान्न सिंह		
भोपाल सिंह बावन		
विशीर नेगी		
जयेंद्र सिंह		
आनंद पवार		
श्यामल सिंह पवार		
अनिल सिंह रावल		
मुंदीर पवार		
विनीत सिंह पवार		

गामवसी / मुमिदार

नाम	हस्ताक्षर	
अजयपवार	अजय	
नीरज राणा		
रमेश पवार		
सुनील राणा		
विजय प्रसाद तिवारी		
जुलदीप पवार		
गणेश मेठानी		
नरेश सिंह		
कमल सिंह		
विजय सिंह		
विनोद सिंह		
प्रमोद सिंह		
हरिदास सिंह		
गोपाल सिंह राणा		
सुभाष देवी		
हरी प्रसाद		
विनोद नन्द		
कुलभ सिंह		
सुधाकर दास		
गणेश सिंह		
श्याम सुन्दर नेगी		
भा.रा. प्रसाद देवी		
विजय सिंह नेगी		
देवेंद्र सिंह		
गोपाल सिंह पवार		
जयपाल सिंह पवार		
दीपेन्द्र प्रसाद		
कुन्दन सिंह राणा		

[सुमित्रा देवी]

[सुमित्रा देवी]

[सुमित्रा देवी]

[सुमित्रा देवी]

[सुमित्रा देवी]

[सुमित्रा देवी]

[सुमित्रा देवी]

[सुमित्रा देवी]

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।
Office of Divisional Forest Officer Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.

Phone / Fax No. 01902222222

Email: dfokedarnath@gmail.com

पत्रांक-846

/ 12-1

गोपेश्वर

दिनांक 24

Oct 2020

सवा ३

अधिसूचना अधिसूचना
प्राचीन खण्ड, लोडिंग/डिफेंस
गोपेश्वर।

विषय-

जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली से बडेलार से बडेलार तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.937 हे० घन भूमि का गैर कानूनी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

संदर्भ

उपरोक्त विषय में अवगत करना है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। जिसके अनुसार क्षतिपूर्क संशोधित वृक्षारोपण की धनराशि तथा एन०पी०वी० की धनराशि निम्नानुसार जमा की जानी है-

क्र०	जिसमें धनराशि जमा की जानी है।	क्षेत्रफल(हे० में)	दर प्रति वृक्ष / हे०	कुल धनराशि
1	क्षतिपूर्क वृक्षारोपण	2110 वृक्षों का रोपण	1331.00	28,08,410.00
2	एन०पी०वी० (घनत्व 5)	0.937 हे०	845000.00	7,91,765.00

उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित कंवर)

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 12-03-2021

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6115628568
McEF/SG File No.	8B/UCP/06/191/2016/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	PROVINCIAL DIVISION Chamoli
Amount(in Rs)	3600175/-

Amount in Words :Thirty-Six Lakh One Hundred and Seventy-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896115628568 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 12-03-2021

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6115628568
McEF/SG File No.	8B/UCP/06/191/2016/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	PROVINCIAL DIVISION Chamoli
Amount(in Rs)	3600175/-

Amount in Words :Thirty-Six Lakh One Hundred and Seventy-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

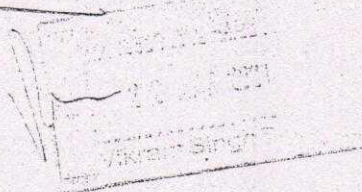
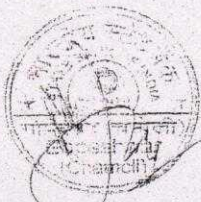
Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896115628568 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

Executive Engineer
Provincial Division
S. S. S. S.

Executive Engineer
Provincial Division
S. S. S. S.



राज्य योजना - वैदेशीय नदी विकास
वक (अ.प्र.प्र.) मी 25 मार्ग
मि.मि.मि.